फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व वाद संख्या – 43/2022

उनवानः– काली देवी बनाम मंगली देवी वगै.

अपने दादा से सम्पत्ति प्राप्त कर रही है या अपने पिता से अर्थात् वादिया के अभिवचनों के अनुसार वादिया को अपने पिता के साथ–साथ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं जबकि राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज खातेदार काश्तकार द्वारा लगान अदा किया जाता है और जिस व्यक्ति के द्वारा लगान अदा किया जाता है वही उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार होता है। ऐसी स्थिति में वादीया ने कभी भी उक्त भूमि का कोई लगान अदा नहीं किया है। इसलिये वादीया को उक्त भूमि में किसी प्रकार के हक व अधिकार निहित नहीं है तथा पूर्व में किये गये पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादीया को यह अधिकार नहीं है कि जिस भूमि को वर्ष 2005 में ही बेचान कर दिया गया है और मुरल्या उर्फ मूलचन्द व रामू पुत्रान स्व० श्री नसिंह जाति जाट के पास उक्त भूमि का बेचान करने के अलावा और भूमि भी शेष है जिसके सम्बन्ध में वादीया ने कभी कोई अधिकार क्लेम नहीं किये है। इसलिये उक्त वाद पूर्णतया विधि द्वारा वर्जित वाद की श्रेणी में आता है। वादिनी द्वारा जो वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है वह खाता संख्या 50 जमाबंदी सम्वत 2056–2059 में वर्णित खसरा नम्बर 113, 114, 115, 116, 126, 196, 210, 461, 464, 511, 111/558 कुल किता 11 रकबा 1.0200 हैक्टेयर के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये हैं केवलमात्र प्रार्थीया को बेचान की गयी भूमि खसरा नम्बर 111/558, 113, 114, 115, 116, 126 कुल किता 6 रकबा 0.4700 हक्टेयर के सम्बन्ध में ही वाद प्रस्तुत किया है। जबकि नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 21.03.1985 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के अलावा खाता संख्या 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 43, 57, 59, 69, 70, 74 व 80 की भूमि भी नृसिंह पुत्र देवा जाति जाट की थी और उक्त भूमि का भी नामान्तकरण वादीया के भाई मुरल्या उर्फ मूलचन्द व रामू के नाम तस्दीक की गयी है और वादीया ने सम्पूर्ण भूमि का वाद प्रस्तुत ना करके केवलमात्र साविका खसरा नम्बर 36 व 35/251 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के सम्बन्ध में ही वाद प्रस्तुत किया है अन्य भूमि के सम्बन्ध में कोई अभिवचन इत्यादि नहीं किये है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध में ही सम्पूर्ण दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है इस आधार पर भी उक्त्त वाद पूर्णतः विधि द्वारा वर्जित वाद की श्रेणी में आता है। इसलिये उक्त वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादीया ने अपने वाद पत्र में सजरा खानदान बनाते हुये वाद पत्र प्रस्तुत किया है और वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में उक्त भूमि को पैतृक सम्पत्ति बताते हुये दावा प्रस्तुत किया गया है तथा पैरा संख्या 8 में वादीया स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादीया के भाइयों के द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र से बेचान किया जा चुका है जिसकी जानकारी वादीया को प्रारंभ से ही रही है जिससे वादीया द्वारा जो वाद कारण उत्पन्न होना अंकित किया है, पूर्णतया गलत/मिथ्या अंकित किया है। जिससे उक्त वाद वाद कारण के अभाव में वादीया का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी व अप्रार्थी/वादी की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो का विवेचन करते हुए वादपत्र पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी/प्रतिवादी का ना तो कब्जा है ना ही प्रार्थी/प्रतिवादी कभी मौके पर उपस्थित हुये है। जहाँ तक अन्य भूमियों के

Con....

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व वाद संख्या – 43/2022

उनवानः– काली देवी बनाम मंगली देवी वगै.

14/07/2025

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र व मौखिक बहस में कथन रहा कि वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा, पटवार हल्का अवानिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की जमाबंदी खतौनी सम्वत 2038–2041 के खसरा नम्बर 36, 35/251 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा है जो राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी के पिता नृसिंह पुत्र देवा जाति जाट के नाम दर्ज व अंकित थी। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 111/558 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 113 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.0200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 126 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.4700 हैक्टेयर के सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए वाद प्रस्तुत किया कि वादीया के पिता नृसिंह पुत्र देवा जाति जाट के नाम दर्ज व अंकित थी। वादिनी के पिता नृसिंह पुत्र देवा जाति जाट के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजी का विरासत फौती नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 21–03–1985 मुरल्या उर्फ मूलचन्द व रामू ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से उक्त आराजी दर्ज करवा ली और यह भी अंकित किया कि उक्त आराजी वादीया की पैतृक आराजी है, जिस पर वादीया अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है जबकि दावे में वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त भूमि विवादग्रस्त कभी भी वादीया के पैतृक आराजी नहीं रही है। क्योंकि उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नृसिंह पुत्र देवा की भूमि थी और नृसिंह पुत्र देवा के फौत होने के पश्चात् दिनांक 21–03–1985 को वादीया के अभिवचनों के अनुसार मुरल्या उर्फ मूलचन्द व रामू के नाम भूमि राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज की गयी है तथा मुरल्या उर्फ मूलचन्द व रामू ने वर्ष 2005 में पंजीकृत विक्रय–पत्र द्वारा भूमि का बेचान प्रार्थीया को कर दिया और उसके आधार पर राजस्व भू–अभिलेखों में नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 05.10.2005 को राजस्व भू–अभिलेखों में प्रार्थीया के नाम इंद्राज दर्ज किये गये और जिनके आधार पर विधिवत नामान्तकरण तस्दीक होकर केता का नाम दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में वादीया को उक्त विवादगस्त भूमि में किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि नृसिंह पुत्र देवा जाति जाट के देहान्त होने के बाद मुरल्या उर्फ मूलचन्द व रामू को अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था और एक अभिलिखित खातेदार काश्तकार द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है और यदि मान भी लिया जावे कि वादीया के कोई खातेदारी अधिकार शेष हैं भी तो वादीया अपने भाइयों से उक्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार क्लेम कर सकती हैं। वादिनी स्व० नृसिंह की पुत्री है जिसका कि स्व० नृसिंह पुत्र देवा की उक्त आराजी में जन्म से ही (बाई बर्थ राइट) हक व अधिकार निहित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी पुत्रियों को भी पुत्र के समान पिता/दादा की सम्पत्ति में बराबर हक व अधिकार निहित हैं। इसलिये वादिनी को अपने दादा की उक्त आराजी में हक व हिस्सा प्रांरभ से ही निहित है। इससे स्पष्ट होता है कि वादिनी ने जो अभिवचन किये हैं कि वादिनी के दादा की मृत्यु के समय वादिनी का विरासत का नामान्तकरण तस्दीक होना आवश्यक था जिसका अभिवचन वादिनी ने अपने वाद पत्र में नहीं किया है और वादिया ने अपने पिता व दादा का अंकन किया है। वादिया को अपने अभिवचनों में यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि वादिया

...Con...

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय,

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व वाद संख्या – 43/2022

उनवानः– काली देवी बनाम मंगली देवी वगै.

2025

संबंध में वाद का प्रश्न है अन्य भूमियों हेतु वादीया द्वारा अपना हिस्सा लिक्विड के रूप में प्राप्त कर लिया गया है जिस कारण अन्य भूमियों हेतु प्रार्थीया का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक नही है। विधि में यह सुस्थापित सिद्वांत है कि पैतृक सभी भूमियों में हितदायी समान अधिकार रखता है और उन्ही प्रावधानो के अनुसार वादीया द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है वैसे भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के निस्तारण करते समय केवल वादपत्र के अभिवचनो को ही पढ़ा जा सकता है मेरिट पर वाद का निस्तारण नही किया जा सकता है। जबकि उक्त वाद पैतृक आराजीयात में घोषणा का है जिसका निस्तारण मेरिट पर ही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्तागण को सुना जाकर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मुख्य कथन यह है कि वादपत्र के अभिवचनो से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीया की पैतृक आराजीयात नही है। अगर वादग्रस्त आराजीयात को पैतृक मान भी लिया जाये तो वादीया द्वारा केवल 2 खसरा नंबर जो प्रार्थीया को बेचान किये जा चुके है केवल उनके संबंध में वाद प्रस्तुत किया है जबकि सम्पूर्ण भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत नही किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार व वादपत्र के अभिवचनो से यह तो स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि नृसिंह पुत्र देवा की भूमि थी और नृसिंह पुत्र देवा के फौत होने के पश्चात् दिनांक 21–03–1985 को मुरल्या उर्फ मूलचन्द व रामू के नाम भूमि राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज की गयी है तथा मुरल्या उर्फ मूलचन्द व रामू ने वर्ष 2005 में पंजीकृत विक्रय–पत्र द्वारा भूमि का बेचान प्रार्थीया को कर दिया और उसके आधार पर राजस्व भू–अभिलेखों में नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 05.10.2005 को राजस्व भू–अभिलेखों में प्रार्थीया के नाम इंद्राज दर्ज किये गये और जिनके आधार पर विधिवत नामान्तकरण तस्दीक होकर केता का नाम दर्ज हुई है। वादीया के वादपत्र में अभिवचनो व प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से यह तो स्पष्ट है कि वादीया स्व0 नृसिंह की पुत्री है।

वादिया द्वारा उक्त वाद पैतृक आराजीयात में अपने अधिकारो की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है लेकिन वादिया द्वारा केवल उनके भाईयो द्वारा बेचान की गई भूमि में ही वाद प्रस्तुत किया गया है अपने पिता के नाम अंकित संपूर्ण भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत नही किया गया है विधि द्वारा सुस्थापित सिद्वांतो के अनुसार सम्पूर्ण पैतृक आराजी में ही वादीया अपने अधिकार क्लेम कर सकती है लेकिन वादीया द्वारा ऐसा नही किया गया है जिससे वादीया का वाद प्रथम दृष्टया ही विधि द्वारा वर्जित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य डी.एन.जे. 2020(3) एस.सी. पेज 817 में अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि " बेटियो को जन्म के आधार पर हिन्दू अविभाजित परिवार की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है, चाहे उसके पिता जीवित हों या नहीं। हालाँकि, वैध कानूनी प्रक्रियाओं के तहत् 20 दिसम्बर 2004, से पहले हुये विभाजनों को फिर से नही खोला जाएगा।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैतृक आराजीयात में पुत्रियों के अधिकार तो प्रदान किये है लेकिन यह भी विनिश्चित किया है कि वैध कानूनी प्रक्रियाओं के तहत् 20 दिसम्बर 2004, से पहले हुये विभाजनों को फिर से नही खोला जाएगा। उक्त वाद में वादीया के पिता की मृत्यु उपरांत

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व वाद संख्या – 43/2022

उनवानः– काली देवी बनाम मंगली देवी वगै.

प्रथम नामांतकरण वर्ष 1985 में कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए तस्दीक हो चुका है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार वादीया उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वाद नही ला सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, ज

Scanned with OKEN Scanner